कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / आरटीई / सी / ऑडिट / 18871 / 14–15 / 101   दिनांकः– 19.08.015

उपनिदेशक

प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा

....

विषयः–आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की प्रतिबालक प्रतिपूर्ति पुनर्भरण राशि का किस्तवार भुगतान किये जाने पर नियमानुसार किस्तवार ऑडिट(अंकेक्षण) करवाने बाबत्।

प्रसंगः–इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक–शिविरा / प्रारं / आरटीई / सी / यूनिट कॉस्ट / 18882 / 13–14 / वो–III / 197 दिनांक 27.05.2014 एवं पत्रांक–शिविरा / प्रारं / आरटीई / सी / ऑडिट / 18871 / 14–15 / 75 दिनांक 03.02.15

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों के 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश उपरान्त सत्यापित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिपूर्ति की पुनर्भरण राशि का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों की पालना में संबंधित बीईईओ / डीईओ प्राशि / माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण की राशि गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है। राज्य सरकार ने दिनांक 29.03.2011 को अधिसूचना जारी कर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह को परिभाषित किया है।

शैक्षिक सत्र 2011–12 में राज्य में आर.टी.ई एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के प्रवेश संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक कार्यालयों द्वारा विद्यालयों का सत्यापन करवाने पर उक्त प्रवेशों को आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों एवं निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए नहीं दिये जाने के कारण उक्त प्रवेशों को अमान्य करते हुए निदेशालय से बजट राशि की मांग नहीं की गई जिससे शैक्षिक सत्र 2011–12 में राज्य में उक्त प्रवेशों के संबंध में किसी भी गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण नहीं किया गया।

शैक्षिक सत्र 2012–13 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिये जाने के पश्चात गैर सरकारी प्रा. / उप्रावि विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन बीईईओ / डीईओ प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक / उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन डीईओ(माध्यमिक) कार्यालयों द्वारा करवाया गया। सत्यापन के पश्चात् सत्यापित बालकों के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) के आधार पर गैर सरकारी विद्यालयों को प्रतिबालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान बीईईओ एवं डीईओ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के प्रा / उप्रावि / मावि / उमावि विद्यालयों के बैंक खातों में किस्तवार (प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त) पुनर्भरण राशि का भुगतान किया।

शैक्षिक सत्र 2013–14 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं पुनर्भरण राशि का भुगतान प्रावि / उप्रा विद्यालयों को बीईईओ / डीईओ प्राशि तथा मा / उमा विद्यालयों को डीईओ माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया गया।

शैक्षिक सत्र 2013–14 में पुनर्भरण राशि की प्रथम किस्त का भुगतान करते समय इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा / प्रारं / आरटीई / सी / यूनिटकॉस्ट / 18882 / 13–14 / वो–III / 195

दिनांक 27.05.2014 के द्वारा संबंधित बीईईओ/डीईओ (प्रा.शि./मा.शि.) को निर्देश प्रदान किये गये थे कि शैक्षिक सत्र 2012–13 की प्रथम/द्वितीय किस्त के समय अधिक/अनियमित भुगतान की स्थिति में अधिक/अनियमित भुगतान की गई राशि का समायोजन शैक्षिक सत्र 2013–14 की प्रथम किस्त/आगामी वर्षों की पुनर्भरण राशि में से किया जावे। वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए राज्य में लगभग 27 करोड़ रूपये तथा शैक्षिक सत्र 2013–14 के लिए 76 करोड़ रूपये एवं शैक्षिक सत्र 2014–15 में लगभग 160 करोड़ रूपये का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जा चुका है तथा आने वाले वर्षों में उक्त भुगतान की राशि लगातार बढ़ती जायेगी। इस प्रकार लगातार बढ़ते वित्तीय खर्च के मध्यनजर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/हानि को रोकने/वसूली/समायोजन राशियों को तत्काल प्रभावी रूप से संपादित करवाये जाने हेतु किस्तवार (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) भुगतान के तत्काल पश्चात उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियमानुसार विभागीय ऑडिट(अंकेक्षण) कार्य करवाये जाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/युनिटकॉस्ट/18882/13– 14/197 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मण्डल स्तर पर विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) कार्य करने हेतु निम्नानुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया गया था:–

1. उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय स्तर पर गठित अंकेक्षण दल–

1. उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
2. उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार
3. उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी
4. उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग का कार्मिक

2. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय स्तर पर गठित अंकेक्षण दल–

1 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
2 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार
3 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी
4 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग का कार्मिक

उपरोक्त विभागीय अंकेक्षण दल उनके मण्डल में नियंत्रणाधीन बीईईओ/डीईओ (प्राशि) के कार्यालयों का विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जाकर जांच प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार डीईओ (माध्यमिक) कार्यालयों का विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) उपनिदेशक (मा. शि.) कार्यालयों में गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जाकर जांच प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रस्तुत करेंगे। विभागीय अंकेक्षण दल शैक्षिक सत्र 2012–13 की प्रथम किस्त के भुगतान से अंकेक्षण कार्य (ऑडिट) प्रारम्भ करेंगे।

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान

1 आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार "धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप खण्ड(iii) और उपखण्ड(iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा:

परन्तु यह और कि जहां धारा 2 के खण्ड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खण्ड (क) से खण्ड (ग) के उपबन्ध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।

2 एक्ट की धारा 12(2) के अनुसार–"उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले धारा 2 के खण्ड(ढ) के उपखण्ड (iV) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा उपगत व्यय की राज्य द्वारा उपगत प्रतिबालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहीत की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी:

परन्तु यह कि ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खण्ड (ढ) उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रतिबालक व्यय से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं या तो निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त करने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

2. राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के प्रावधान–

(1) धारा 2 के खण्ड(ढ) के उपखण्ड(iii) और (iV) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धरा 12 की उप–धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(2) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रैल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी।

(3) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के संबंध में प्रति–बालक–व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला, धारा 2 खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) और (iV) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दावा (क्लेम बिल) विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित बीईईओ /डीईओ (प्रा/माशि) कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। दावा(क्लेम बिल) प्रत्येक वर्ष प्रथम एवं द्वितीय किस्त के लिए अलग–अलग प्रस्तुत करेगा।

(4) बीईईओ/डीईओ (प्रा/माशि) कार्यालयों द्वारा अंतिम प्रतिपूर्ति (द्वितीय किस्त) करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

3. जांच दल के लिये सामान्य निर्देश–

1 अंकेक्षण दल अभिलेखों की जांच करते समय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना प.21(9) शिक्षा–1/प्राशि/ 2009 जयपुर दिनांक 29.03.11 (राज्य नियम) के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु बालकों के प्रवेश एवं प्रतिबालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/ डीईओ(माशि) कार्यालयों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अंतरित की गई किस्तवार (प्रथम/द्वितीय) राशि की ऑडिट(अंकेक्षण) कार्य सम्पन्न करके जांच प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

2 गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रथम/द्वितीय किस्त का भुगतान राज्य सरकार के पत्रांक प.9(2)शिक्षा–5/2005 पार्ट दिनांक 04.02.2013 एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/यूनिट कॉस्ट/18882/12–13 दिनांक 15.3.13 एवं पत्रांक 21 दिनांक 19.03.13 तथा शैक्षिक सत्र 2013–14 में राज्य सरकार के पत्रांक प.9(1) शिक्षा–5/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 11.11.2013 एवं शैक्षिक सत्र 2014–15 में राज्य सरकार का पत्राक प.9(1) शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 26.12.2014 के अनुसरण में किया गया है।

3 शैक्षिक सत्र 2014–15 में प्रा/उप्रा गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं पुनर्भरण का कार्य संबंधित जिले के बीईईओ/डीईओ(प्राशि) कार्यालयों द्वारा एवं मा/उमा गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं पुनर्भरण का कार्य संबंधित जिले के डीईओ(माशि) कार्यालयों द्वारा किया गया है।

4 शैक्षिक सत्र 2012–13 एवं सत्र 2013–14 के लिए पुनर्भरण हेतु बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/डीईओ (माशि) को बजट आंवटन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी किया गया है।

5 शैक्षिक सत्र 2014–15 के लिए पुनर्भरण हेतु बीईईओ/डीईओ(प्राशि) कार्यालयों को ऑनलाईन बजट आंवटन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं डीईओ(माशि) कार्यालयों को ऑनलाईन बजट आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी किया गया है।

6 बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/डीईओ(माशि) कार्यालयों में अभिलेखों का अंकेक्षण(ऑडिट) करते समय संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध सत्यापन निरीक्षण रिपोर्ट, एवं सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) एवं संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के वांछित सभी अभिलेखों का अंकेक्षण(ऑडिट) करना सुनिश्चित करें।

7 शैक्षिक सत्र 2012–13 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश/सत्यापन/पुनर्भरण कार्य मैन्युल किया गया था तथा शैक्षिक सत्र 2013–14 से उपरोक्त कार्य आरटीई वेब पोर्टल **dee.raj.nic.in/rte.raj.nic.in** पर ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 2015–16 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप व सूचनाएें आरटीई वेब पोर्टल rte.raj.nic.in से विद्यालय लॉग–इन से डाउनलोड कर भौतिक सत्यापन दलों द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य सम्पन्न किया जाता है ।

8 शैक्षिक सत्र 2013–14 से प्रथम किस्त का बजट आरटीई वेब पोर्टल पर बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/डीईओ(माशि) कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन बजट डिमाण्ड जनरेट की जाती है, जिसके आधार प्राशि/माशि निदेशालय द्वारा ऑनलाईन बजट जारी किया गया है तथा द्वितीय किस्त का बजट आंवटन प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है परन्तु शैक्षिक सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त का बजट आवंटन प्रथम किस्त में व्यय राशि के अनुसार किया गया है ।

9 आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का प्रतिवर्ष सत्यापन दल द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। भौतिक सत्यापन दल द्वारा तैयार की जाने वाली सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट में पुनर्भरण हेतु की गई अनुशंषा के आधार पर गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा क्लेम बिल (किस्तवार) प्रस्तुत करने पर नियमानुसार पुनर्भरण किया जाता है।

10 उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त अंकेक्षण दल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2011, राज्य सरकार एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देशों के अनुसार नियमानुसार अंकेक्षण कार्य संपादित करेगा।

इस संबंध में उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा(समस्त) को निर्देशित किया गया था कि वे अंकेक्षण दल (ऑडिट पार्टी) का गठन कर अंकेक्षण कार्य(ऑडिट कार्य) प्रारम्भ कर उसकी सूचना अथवा अंकेक्षण दल(ऑडिट पार्टी) का गठन नही किया है तो दिनांक 20.02.2015 तक अंकेक्षण दल का गठन कर अंकेक्षण कार्य(ऑडिट) प्रारम्भ करवावें। अंकेक्षण दल गठन करने एवं अंकेक्षण कार्यक्रम की सूचना प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करें। परन्तु खेद का विषय है कि किसी भी उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय ने निदेशालय को इस संबंध किसी भी प्रकार की सूचना अथवा ऑडिट कार्य प्रारंभ कर ऑडिट रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है । वर्तमान में करोड़ों रूपयों का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है । अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से तत्काल प्रारम्भ कर निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय, बीकानेर का प्रेषित करें ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ।
4. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को नियमानुसार अंकेक्षण कार्य(ऑडिट) संपादित करने हेतु पाबन्द करते हुए वित्तीय सलाहकार एवं सहायक निदेशक(आरटीई) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।
6. वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि ऑडिट अनुभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
7. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि ऑडिट अनुभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
8. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड करें ।
9. ऑडिट अनुभाग प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
10. उप निदेशक(आरटीई)/सहायक निदेशक (आरटीई) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
11. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/बीईईओ/गैर सरकारी विद्यालय.......................
12. बजट/योजना अनुभाग प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
13. सम्पादक शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
14. कार्यालय प्रति।

19/8/15

उप निदेशक(आर.टी.ई.)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर